मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अपील/प्रेस विज्ञप्ति

शहर के सुनियोजित विकास हेतु मुरादाबाद विकास क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि –

1. अपने भवन/भूखण्ड पर निर्माण/विकास कार्य करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र अवश्य स्वीकृत करा लें।
2. निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करें।
3. अपने भवन का उपयोग स्वीकृत मानचित्र में निर्धारित उपयोग के अनुसार ही करें।
4. भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि क्रय किया जाने वाले भवन/भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा विकसित अथवा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ही है।
5. शहर को हरा–भरा रखने में सहयोग दें एवं अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें।
6. अपने भवन/भूखण्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था करें।
7. यथा सम्भव अपने भवन में सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना करें।
8. सड़क/नाली पर अतिक्रमण न करें।
9. शासन द्वारा प्रेषित भवन उपविधि–2016 के अनुसार सेलुलर/मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू–उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू–उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य उपयोगों तथा आवासीय व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति के देय होगी। अतः नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि बिना प्राधिकरण की अनुमति से अपने आवासीय/व्यवसायिक व कार्यालय आदि में टावर आदि ना लगवाएं।